राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	483/2017 रामेश्वर बनाम केदारमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो |	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/05/2017 पारित करते हुये ग्राम आंधी, तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 404 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 402 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा के मौका व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/05/2017 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी प्रतीत नही होती है | पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/05/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	